न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **नम्बर 2022/418**

1. राजेश कुमार यादव पुत्र श्री हरिसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम भालोजी, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी महोदय, कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी महोदय कोटपूती, जिला जयपुर

–रेस्पोंडेन्ट्स

3. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामविलास
4. महेन्द्र सिंह पुत्र रामविलास
5. सुरेन्द्र पुत्र रामविलास
6. ललिता देवी पत्नी रामविलास
7. सरजीत पुत्र हरचन्द
8. हरफूल पुत्र हरचन्द
9. गोरली पत्नी हरिसिंह
10. जगदीश पुत्र छाजू
11. रामदयाल पुत्र छाजू
12. रामनिवास पुत्र छाजू
13. रामअवतार पुत्र छाजू
14. कैलाश पुत्र हरिसिंह
15. महिपाल पुत्र हरिसिंह

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम कंवरपुरा पोस्ट गोरधनपुरा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला जयपुर निर्णय दिनांक 30.11.2021

उपस्थित–

1. श्री एन.के.यादव, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट न. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री सीताराम जाट, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 15 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –13.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 30.11.2021 के खिलाफ प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के साथ दिनांक 18.07.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के पत्रांक भू.अ./2021/676 दिनांक 25.11.2021 के साथ मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एनेक्सर–1 एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम भलोजी तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 510, 512, 523, 514, 515 मौजा भलोजी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सवत् 2074–77 एवं 2076 से स्थाइ के अनुसार रास्ता राजकीय खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से कच्चा ग्रेवल रास्ता के रूप में दर्ज है एंव कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। (मुताबिक एनेक्सर–1 व नजरी नक्शा ट्रेस) मौके पर चालू कच्चा–पक्का रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) विघमान है। जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म कच्चा–पक्का रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार कोटपूतली से प्रेशित होने पर उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60एच, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 510, 512, 513, 514, 515 (मुताबिक एनेक्सर–1 व नजरी नक्शा ट्रेस) भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश एवं मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट राजेश कुमार यादव द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर निर्णय दिनांक 30.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 510, 512, 513, 514, 515 के अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट मुतदाविया आराजीयात का काबिज भू अभिलेखित खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में मौके पर कभी भी कोई रास्ता न तो राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज रहा है तथा ना ही मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में वर्तमान में रास्ता विघमान है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.11.2021 को क्रमांक–भू.अ./2021/680 रास्ते सम्बन्धी प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिक्रेशन राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र/क्रमांक प.3(2)राज.–1/2003/पार्ट दिनांक 10.08. 2016 के क्रम में सीमा ग्राम बालोजी से अपीलाधीन आराजीयात के सम्पूर्ण खसरा नम्बरान के बीचोबीच ग्राम दादूका के सम्बन्ध में रास्ते के प्रस्ताव तैयार अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प बसई में प्रेि ात किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को बिना दर्ज रजिस्टर किये बिना ही तथा सभी प्रभावित होने वाले उक्त खसरा नम्बरान के भू अभिलेखित काबिज खातेदारान काश्तकारान को बिना साक्ष्य, समर्थन सुनवाई का अवसर प्रदान प्रदत्त किये बिना ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कोर्ट कैम्प बसई के समक्ष दिनांक 30.11.2021 को बाला बाला सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये राजस्व लोक अदालत कैम्पों में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया की मंशा के विपरीत जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की अवैध आड लेकर अवैध अपीलाधीन आदेश बिना कब्जा मौका जांच किये बिना ही तथा प्रभावित होने वाले खातेदारान को बिना सुने उक्त अवैध अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई है। अपीलान्ट की खातेदार भूमि को उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से गै.मु. रास्ते की भूमि अंकित कर दिया गया, जिससे अपीलान्ट की खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन हो गई तथा मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं होने के बावजूद भी गलत तरीके से रिकॉर्ड में अमल दरामद बिना कोई आवश्यकता के किया गया है जिसमें अपीलान्ट को अपूर्तनीय क्षति कारित हुई है जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि उपर से रास्ता निकाला जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को कतई नही थी क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलार्थी एवं प्रभावित होने वाले किसी भी भू–अभिलेखित खातेदार काश्तकारान को न तो फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाया गया ना ही उनको प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की ताहिद में साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई बाबत नोटिस सम्मन भी जारी किया गया, तथा ना ही उनको मौके कब्जे

संभागीय आयुक्त
जयपुर

की रिपोर्ट कसीद करते समय सूचना भी प्रदत्त नहीं की गई दिनांक 05.07.2022 को पटवारी हल्का व उसके साथ आये कुछ भू माफिया किस्म के लोग जो कि मौके पर ईशारा करते हुये रास्ता कटान के तथ्यों के बारे में वार्तालाप कर रहे थे जिस पर अपीलार्थीगण ने पटवारी हल्का से वार्तालाप की तो पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अपीलाधीन आदेश के माध्यम अपीलार्थीगण एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान की आराजी में रास्ता दर्ज हाने के कथनात से अवगत करवाया तथा अब मौके पर रास्ते को चालू करवाने के कथनो से अपीलार्थी अचभिंत एवं चिन्हित हुआ तथा अपने सहखातेदारान से मिलकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.07.2022 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 को प्रस्तुत करवाकर नकल सम्पूर्ण पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 तैयार करा कर सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेश की नकल प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी कि दिनांक से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई है जिसे पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 से अपील पेश करने तक के समय को कन्डोन किया जाने के आदेश करते हुए अपील प्रार्थीगण/अपीलान्ट अन्दर मियाद ुमार फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर मिन अपीलार्थी को न तो फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा ना ही उनको कभी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई की गई। अपीलार्थीगण मुतदाविया आराजीयात में भू अभिलेख काबिज प्रभावित हितबद्ध खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रभावी पक्षकार है। उनको सुने बिना अथवा बिना फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाये किसी प्रकार का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इसलिये प्रार्थी पूर्ण रूपेण प्रभावी पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदत्त किये जाने के भी पूर्ण कानूनी हक अधिकारी है। इसलिये न्यायाहित में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत की इजाजत प्रदान की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार तहसील कोटपूतती जिला जयपुर के पत्रांक भू.अ./2021/676 दिनांक 25.11.2021 के साथ मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एनेक्सर–1 एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम भलोजी तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 510, 512, 523, 514, 515 मौजा भलोजी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सवत् 2074–77 एवं 2076 से स्थाइ के अनुसार रास्ता राजकीय खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से कच्चा ग्रेवल रास्ता के रूप में दर्ज है एंव कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। (मुताबिक एनेक्सर–1 व नजरी नक्शा ट्रेस) मौके पर चालू कच्चा–पक्का रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) विघमान है। जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म कच्चा–पक्का रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार कोटपूतली से प्रेशित होने पर उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60एच, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 510, 512, 513, 514, 515 (मुताबिक एनेक्सर–1 व नजरी नक्शा ट्रेस) भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश एवं मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थीगण को फरीकेन पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है और ना ही उनको कभी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई की गयी है। इस कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 25.11.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 510, 512, 523, 514, 515 मे से मौके पर जो रास्ता निकाला गया है। उससे अपीलार्थीगण एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के खेत के बीच में से रास्ता निकाला गया है। वकील अपीलार्थीगण ने बहस के दौरान निवेदन तथा मौखिक सहमति प्रदान की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश से पारित किया है उसमें से रास्ता खेत के उपर से या साईड से निकाला जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को सभी सबूतों एवं साक्ष्य का अवलोकन कर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किये जाने योग्य है।

<u>अतः आदेश हैं कि</u> –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 31.11.2021 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनकर, मौके का निरीक्षण कर तथा सभी दस्तावेजों का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करें।

(डॉ० आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर